लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
020/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/71)	26-03-2025	23-04-2025

अनवान

बंजरग प्रसाद वर्मा, निवासी 150 बालाजी नगर रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मोबाईल 9461415319

अपीलार्थी

बनाम

सहायक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 29.10.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होकर सहायक लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./020/2025(सू.अ.)(23.04.2025)/230 दिनांक 26.03.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 23.04.2025 अपील अपीलार्थी स्वयं हाजिर आये एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होना जाहिर किया। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स अप्राप्त।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा ने अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 29.10.2024 के क्रम में अपने पत्रांक/राजस्व/सू.अ.अ./2024/1146 दिनांक 11.12.2024 से बिन्दुवार अपीलार्थी को प्रत्युत्तर प्रेषित किया है जो कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपील मेमों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा ने अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 29.10.2024 के संबंध में अधिनियम 2005 के तहत विहित समयावधि में सूचित किया जाना प्रतिवेदित होता है, जबकि अपीलार्थी अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना से असंतुष्ट है।

हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

अपीलार्थी के आवेदन से वांछित सूचना के संबंध में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.10.2024 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता हैं, अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 29.10.2024 जो कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.04.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official